बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, बेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in, ई-मेल: bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक : 28-04-26

अधिसूचना

संख्या–नि॰ प्रा॰/नि॰ 1–02/2025 1052 चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित संयुक्त निबंधक/ जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाईन निर्वाचन प्रस्ताव पर प्राधिकार द्वारा **अनुलग्नक–1 में अंकित 11 (ग्यारह) विशेष प्रकार की समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।**

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा–4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा– 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **अनुलग्नक–1 में अंकित 11 (ग्यारह) विशेष प्रकार की समितियों** के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक 03.06.2026 (बुधवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार के पत्र संख्या– 721 दिनांक 20.03.2026 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए **कट–ऑफ तिथि 28.02.2026** निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन **दिनांक 13.04.2026** को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. **अनुलग्नक–1 में अंकित 11 (ग्यारह) विशेष प्रकार की समितियों** के प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:–

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–ई॰1 में सूचना का प्रकाशन	04.05.2026 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	20.05.2026 (बुधवार) एवं 21.05.2026 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	22.05.2026 (शुक्रवार) एवं 23.05.2026 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	26.05.2026 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	03.06.2026 (बुधवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	03.06.2026 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	05.06.2026 (शुक्रवार)

5. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए **प्रपत्र–ई॰ 1** में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना **दिनांक 04.05.2026 (सोमवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

6. **निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट** http://bsea.bihar.gov.in/ **पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्टि नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा–**

क्र०	**सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय**	**प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना**
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात्	ई०–1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्ट करना है।
iv.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूचना (प्रपत्र– ई० 18 से संबंधित), को प्रविष्ट करना एवं तदोपरांत डाउनलोड PDF का Black and White mode में स्कैन कर निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ प्राधिकार के ई–मेल bseapatna@gmail.com पर भेजना है।
v.	मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्र–469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है।

7. **प्रपत्र–1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धरित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।**

8. निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र –5** में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के हस्तपुस्तिका में वर्णित **प्रपत्र–ई॰ 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई–मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राधिकार के वेबसाइट पर भी अपलोड करायेंगे।

9. **<u>निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।</u>** इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक 25.02.2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा–निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

10. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् **दिनांक 05.06.2026** तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 134–142 पर देखे जा सकते हैं।

11. निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि कंडिका–4 में दिए गए कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों को भी प्रकाशनार्थ उपलब्ध करा देंगे तथा प्रेषित किए जाने का साक्ष्य रखेंगे।

अनुलग्नक: यथोक्त।

28.4.26

(कयूम अंसारी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1052 पटना/ दिनांक 28-04-26

प्रतिलिपि : ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

28.4.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1052 पटना/ दिनांक 28-04-26

प्रतिलिपि : जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया, नालन्दा, पटना एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित समिति की उपविधियाँ **दिनांक 02.05.2026 तक** अनिवार्य रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) को उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन–जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित समिति को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

28.4.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1052 पटना/ दिनांक 28-04-26

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, तिरहुत एवं मगध/ जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), गया, नालन्दा, पटना एवं मुजफ्फरपुर/ वरीय पुलिस अधीक्षक, गया, नालन्दा, पटना एवं मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी (स॰ स॰), गया, नालन्दा, पटना एवं मुजफ्फरपुर/ अपर समाहर्त्ता, गया, नालन्दा, पटना एवं मुजफ्फरपुर/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि समिति में निर्वाचन निर्विरोध होता है तो प्राधिकार के पत्रांक 1860 दिनांक 17.10.2024 एवं पत्रांक 967 दिनांक 05.05.2020 के मानदंडों के अनुरूप राशि प्राधिकार को 07 दिनों के अन्दर वापस करेंगे।

3. जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), गया, नालन्दा, पटना एवं मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे।

28.4.26

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.4.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1052 पटना/ दिनांक 28-04-26

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सादर अनुरोध है कि विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु भवदीय स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

28.4.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1052 पटना/ दिनांक 28-04-26

प्रतिलिपिः प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28.4.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 1052 पटना/ दिनांक : 28-04-26

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा– 2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

3. श्री वेद प्रकाश, आई. टी. प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित वेबसाईट पर की जानेवाली सभी प्रविष्टियाँ तथा ई–18 और अंतिम मतदाता सूची अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

28.4.26

संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–1

निर्वाचन देय विशेष प्रकार की समितियों की सूची :–

क्र0	जिला	प्रखंड	समिति का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	नालन्दा	बिहारशरीफ	आदर्श प्राथमिक स0 उप0 भंडार लि0, सोहडीह	
2	नालन्दा	बिहारशरीफ	नेशनल प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0	
3	नालन्दा	बिहारशरीफ	बडी पहाड़ी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0	
4	नालन्दा	बिहारशरीफ	मगध प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0	
5	नालन्दा	बिहारशरीफ	मियो कमाल प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0	
6	नालन्दा	बिहारशरीफ	सोहडीह स0 उप0 भंडार लि0, सोहडीह	
7	नालन्दा	बिहारशरीफ	सोहसराय प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0	
8	गया	बेलागंज	सिमरा श्रमिक सहयोग समिति लिमिटेड	
9	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	आ0 एम0 एस0 पी0 एंड यू0 डिविजन कोऑपरेटिव स0 लि0 पंखा टोली, मुजफ्फरपुर	
10	पटना	पटना सदर	कुर्जी होली फेमिली कर्मचारी सहयोग समिति लिमिटेड	
11	नालन्दा	सिलाव	नेपुरा शिल्क प्राथमिक बुनकर स0 स0 लि0 सिलाव	

अनुलग्नक-2

..................समिति का निर्वाचन

प्रपत्र- ई-1

सूचना का प्रपत्र

जिला ...., प्रखंड ....के अन्तर्गत.................................(समिति का नाम) के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक........................को किया जाना है,

मैं..निर्वाचन पदाधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या .... है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1	2

(ii) अध्यक्ष/ सचिव के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.. (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में...(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को .... (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक ....(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.................................से दिनांक.......................tak ....बजे से....................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक........................को.................................. (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....................................को अपराह्न .... बजे के पूर्व तक .... (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

*(vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र- ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा।

(viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक..को निम्नांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा:-

मतदान केन्द्र संख्या	मतदान केन्द्र का नाम
(1)	
(2)	
(3)	

(ix) मतगणना दिनांक ....को ....बजे से .... (स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी।

स्थान -

तिथि - निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

....

*जो लागू न हों, उसे काट दें।